INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 03, March 2024, pp : 126-129

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

महिलाओं के आर्थिक उन्नयन में स्वसहायता समूहों की भूमिका

डॉ. तकदीर सिंह[1], योगेश (नारनौल)[2]

[1,2]लेक्चरर इन कॉमर्स, दिल्ली

शोध सार

महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में से एक है उन्हें उद्यमिता से जोड़ना है, जिससे उनका आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास परस्पर मात्रा में हो सके। जिसके फलस्वरूप महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। वर्ममान समय में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों के आर्थिक विकास पर विषेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिला उद्यमिता विकास के क्षेत्र में कार्य कार्यान्वित किये जा रहे हैं। अन्य विकासषील देषों की तरह भारत में भी तिहाई आजादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। इसका अधिकांष भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है।

अतः उनकी जीवन शैली परिवर्तित करने एवं आय में वृद्धि करने हेतु अति आवष्यक हो गया है कि ग्रामीण महिलाओं की क्षमताओं का विकास करके उन्हें रोजगार प्रदान कराया जाए। अनौपचारिक क्षेत्र में एक गरीब परिवार को आर्थिक विकास की बागडोर ज्यादातर महिलाओं के उपर होती है परन्तु उन्हें अभी तक विकास कार्यक्रम से परे रखा गया है। कुछ हद तक गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाई जा रही बचत योजनाओं तथा प्रषिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में महिलाओं के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया है। परन्तु सामूहिक क्रिया कलापों को एकाग्रता पूर्वक चलाने के लिये इन महिलाओं को व्यावसायिक दक्षता तथा उनमें सामूहिक भावना का होना अनिवार्य षिक्षा का अभाव वित्त तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता में कठिनाई प्रषिक्षण व्यवस्था में अनुपस्थित आदि विकास कार्यो को प्रभावित करती है जैसे सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधकों के कारण ग्रामीण महिला विकास कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान उभरकर सामने आया है। तथा भारत द्वारा 1994 में योजनाऐ क्रियान्वित की गई हैं। (आई.आर.डी.पी. ट्रायसेम, टूलकिट्स) आदि को एकीक्रत करते हुए एक नवीन योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई है।

1. परिचय

1982 से भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। ड्वारा (वॅम्त।) योजना के अंतर्गत महिला समूह का गठन करके उन्हें तकनीकी प्रषिक्षण प्रदान करना एवं उनके लिये सामूहिक, आर्थिक गतिविधियां स्थापित करना शामिल है। यह योजना के जो परिणाम सामने आये हैं वह असंतोष जनक हैं। जिसका प्रमुख कारण प्रषिक्षित कार्यक्रमों में कमी रही है। जैसे संभाव्य आर्थिक प्रोजेक्ट का निर्धारण करना, उद्यमिता की क्षमताओं को पहचानना उनका विकास कराना तथा उद्यमी को स्थापित करना चाहिए जिसकी अधिक आवष्यकता हो।

स्व–सहायता की भावना स्वयं अपनी मदद करना है, समान विचार स्तर और समान आवष्यकता से स्व–सहायता का संबंध है। अवधारणा में विकास के उस व्यक्ति का आस–पास और उसी का किया जाता है। इस प्रकार स्व–सहायता समूह ग्रामीणों निर्धनों द्वारा स्वेच्छा से गठित एक समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने आप से जितनी भी बचत आसानी से कर सकते हों उनका अंषदान उत्पादक उपभोग अथवा आपातकालीन आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिये तैयार हैं। स्व–सहायता समूह एक जैसी आर्थिक स्थिति वाले सषक्तिषील ग्रामीण गरीबों का एक छोटा सा समूह होता है। समूह जिसमें दस बीस सदस्य तक होते हैं वे लोग स्वेच्छा से नियमित रूप से थोड़ी–थोड़ी राषि बचाते हैं और सामूहिक निधि में योगदान के लिये परम्पारिक रूप से सहायक रहते हैं।

2. समूह गठन के उद्देश्य

1. ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचने के लिये पूरक ऋण मुक्ति रचना तैयार करना।
2. ग्रामीण निर्धनों के बीच परस्पारिक विष्वसनीयता एवं आत्मविष्वास कायम करना।
3. बैकिंग कार्य–कलापों में बचत के साथ–साथ ऋण भी प्रदान करना।

3. स्व- सहायता समूह के गठन की प्रक्रिया

सर्वप्रथम जो सदस्य समूह के सदस्य बनना चाहते हैं उसको एकत्रित करके एक सभा को आयोजित किया जाता है। किसी भी सामान्य समूह में दस से बीस सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का स्वेच्छा अनुसार जो व्यक्ति समूह में विष्वास पात्र होता है। सभी की सहमति के अनुसार उसे समूह का अध्यक्ष चुना जाता है। जो समूह के सारे निर्णय को ले सकता है। अध्यक्ष के अलावा समूह में उपाध्यक्ष, सचिव आदि होते हैं जो अपने–अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है जो समूह के सभी सदस्यों की जानकारी लेता है। समूह के किसी भी प्रकार के आर्थिक निर्णयों को लेने से पहले समूह के सदस्यों की सहमति लेना अनिवार्य होता है जो समूह के हित में हो और जिससे समूह का विकास हो सके।

आर्थिक उन्नयन-

उद्यमिता का आषय उस प्रवृति एवं योग्यता से होता है जिसके द्वारा व्यवसाय मे निहित अनेक प्रकार के जोखिमों एवं अनिष्चितताओं का मुकाबला किया जाता है उन्हें वहन करते हुये व्यवसाय एवं संचालन किया जाता है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 03, March 2024, pp : 126-129

फ्रिमेन व रिलवर्ट का कथन है कि उद्ययमिता उद्यमि या साहसी का वह विषिष्ट कार्य का योग्यता है। जिसके द्वारा वह उत्पादन के विभिन्न साधनों भूमि श्रम पूंजी को संयोजित करता है तथा नई वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु इसका प्रयोग करता है इस प्रकार उद्यमिता जोखिम एवं अनिष्चितता को वहन करने की इच्छा हो यह नेतृत्व एवं नवप्रर्वतन का गुण है जिनके द्वारा व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों के साथ वातावरण के अनुरूप सतत् समायोजन किया जाना संभवतः होता है। सृजनात्मक एवं नवप्रर्वतन का मार्ग प्रषस्त होता है।

"उद्यमिता हेतु नव उद्यमिता शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें समय के अनुरूप संगठन को ढ़ालने, आंतरिक सहकारिता को अपनाने तथा प्रतिस्पर्धा लाभों को प्राप्त करने की योग्यता शामिल हो।

–प्रो. लिन- उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है इसमें विभिन्न कार्यों के साथ–साथ बाजार अवदारों ज्ञान प्राप्त करना उत्पादन के साधन का संयोजन एवं प्रबंध करना तथा उत्पादन तकनीकी एवं वस्तुओं को अपनाना शामिल हैं।

–पीटरडिलबाई-

उद्यमी क्या है-

उद्यमी उत्पादन का अंतिम उत्पादन है। अर्थषास्त्र में व्यवसाय से होने वाले तथा हानि की अभिरूचिता तथा जोखिम को झेलने को शक्ति को उद्यमी कहते हैं अर्थात जो व्यक्ति इस अनिष्चितता तथा जोखिम को झेलता है वह उद्यमी कहलाता है।

सामान्यतः जो महिला किसी प्रकार की सेवा या वस्तु के उत्पादन में संलग्न होती है उसे महिला उद्यमी कहते हैं। जो महिला किसी उद्योग की स्थापना कर उसे स्वयं की पूंजी निवेष कर ऋण लेकर उद्योग स्थापना करती है तो उन्हें महिला उद्यमी कहा जाता है। कोई इकाई महिला के स्वामित्त में हो तो अर्थात न्यूनतम 51: पूंजी उस महिला की हो तो वह उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो व इकाई में कार्यरत कर्मचारियों में 50: महिलाऐं हों तो उसे महिला उद्यमिता की श्रेणी में रखा जाता है। महिला उद्यमिता से आषय महिलाओं का किसी उद्यम या सेवा कार्य में संलग्नता की दषा से है। इस प्रकार महिलाएं किसी लघु, मध्यम या वृहत् आकार के उद्योग व्यापार या संगठन की स्थापना कर सकती है। उद्यमिता की अवधारणा लिंग के आधार पर पुरूष तथा स्त्री में किसी प्रकार का भेद नहीं करती है।

एकल महिला उद्यमी-

एक सफल महिला उद्यमी उसे माना जाता है जो स्वेच्छा से व्यवसाय में प्रवेष करता है तथा उन्हें अपने पति और परिवार के लोगों से उचित मार्गदर्षन मिलता है। ऐसे भी अनेक महिला उद्यमी हैं जिनके परिवार की पृष्ठभूमि व्यवसाय के न होते हुए भी उन्होंने अपने उपक्रम में सफलता हासिल की है। अनेक मामलों में आर्थिक विवषता या आरंभिक अनिच्छा अंततः व्यवसायिक सफलता की अभिलाषा में परिणीति हुई है।

4. स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की भूमिका

महिलाएं जीवन के नये ढंग को अपनाने की चाह परम्पराओं की तवज्जों, कुछ वास्तविक और कुछ काल्पिनिक चिंता और भय के कारण उन्हें असहाय बनाया जाता है। उन्हें अपने परिवार तथा अपने पति की मार्यादाओं का ध्यान रखना होता है। इस व्यवस्था में पुरूष महिला से अधिक शक्तिषाली है क्योंकि सभी संपत्तियों पर सर्वप्रथम पुरूष का हक बनता है परतु वर्तमान युग में सरकार द्वारा विभिन्न ऐसी–ऐसी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं जो महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से परिपक्व बनाती हैं। जिससे वह समाज के साथ मिलकर चल सके। समाज में अपना योगदान दे सके। तथा समाज में अपनी भागीदारी बना सके। और जो अषिक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें सरकार द्वारा प्रषिक्षण दिला सके। जिससे वे प्रषिक्षण प्राप्त कर रोजगार स्थापित कर सकें। स्वयं सहायता समूह उसी दिषा में सरकार द्वारा प्रवर्तित एक सार्थक प्रयास है।

महिलाओं की आर्थिक सहभागिता-

महिलाओं को षिक्षा एंव काम कें अवसरों में उनके अपने सामाजिक आर्थिक स्तर अनुसार प्राप्त होते है। उच्च तथा मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं का एक छोटा सा समूह ही एक विकास का लाभित हो पाया है। यही कारण है कि महिलाए आधुनिक काम व रोजगार पा सकी है। इसमें अभी धीरे–धीरे और बढोत्तरी हो रही है। पिछले दो दषक से महिला एंव विकास दो प्रमुख विषय है औधोगिक एवं तकनीकी द्वारा विकास की गति को पाया जा सकता है। इन दोनों परम्परागत अर्थ व्यवस्था को हिला कर रख दिया इन सब प्रकिया का महिलाओं पर विपरीत असर पडा साथ ही स्पष्ट नीतियों के कारण महिलाओं नईव्यवस्था से जुडने की बजाए दूर चली गई हैं।

परिवर्तन की प्रक्रिया

महिलाओं की भूमिका में बदलाव गृहणी उद्यमी में परिवर्तन की प्रकिया ध्यान देने योग्य है। किसी भी समाज में परिवर्तन हमेषा होता रहता है। सारे परिवर्तन समाज में रहने

वाले व्यक्तियों के बदलते जीवन षैली के कारण होता है।यदि हम पुराने परिवर्तन के अनुभवों का विष्लेष्ण करे तो हम पायेंगे की समाज में कई तरह के परिवर्तन आते है।

खोज : नये विचारों का जन्म

विनिमय : इन नये विचारोंको समाज में पहुचाना

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 03, March 2024, pp : 126-129

परिमाण : कुल परिवर्तन

परिवर्तन अचानक या आयोजित हो सकता है यह अदरूनी या बहरी संस्कृति की देन हो सकती है।समाज की कई मान्यताए होती हैजो एक दूसर पर असर डालता है ठीक इसी तरह महिलाओं को आर्थिक विकास इसी प्रकार के परिवर्तन की प्रकिया से गुजर रहा है।

5. भारत के ग्रामीण क्षेत्र की विकास नीति

1. समुदाय विकास कार्यक्रम एक बहुउद्देषीय एवं एकीक्रत कार्यक्रम है जो गांव की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के पहलुओं को छूता है कार्य लोगों के समूह एवं संस्था को सक्रिय करना है।

2. विभिन्न सेवा वित्त एवं तकनीक ज्ञान किसानों तक पहुचाना। एकत्र रूप से न हो करके विभाजित होकर पहुंचाता है। देखा गया है कि इन सभी से आर्थिक उद्देष्य की पूर्ति नहीं हो सकी और इन सब में लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो सका ।

प्रषासनिक एवं क्रियान्वयन की समस्याओं का उचित ध्यान नहीं रखा गया। पिछले पूर्व कुछ वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न ऐसे कार्यक्रम षुरू किए गए जो परिस्थिति, समस्या को ध्यान में रखकर बनाये गयें है। जैसे–पहाड़ी क्षेत्र, मरूस्थली क्षेत्र, ग्रामीण उद्योग, ब्लाक स्तर पर बढ़ाने की दृष्टि से कार्यक्रमों को नियोजित किया गया है। विकेन्द्रित प्रषासन और पंचायत उत्तरदायी बनायी गई है ।

ग्रामीण विकास षब्द काफी लचीला है। विष्व बैंक के अनुसार ग्रामिण विकास विषेषकर ग्रामीण गरीबों के लिए है। इनके विकास के उन लोगों तक पहुॅचना षामिल है। जो गॉव में ही अपना जीवन व्यक्ति करेंगे। जैसे किसान, भूमिहीन मजदूर, आदि।

इस तरह स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण गरीबी में कमी करना एवं स्वरोजगार की भावना को जागृत करना जिससे वह समाज में अपने आप को स्थापित कर सके जिससे उनका समाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो ।

वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह का मुख्य भूमिका का निर्वाहन कर रहे एक समूह के तौर पर ग्रामीण गरीब लोगों का विभिन्न क्षेत्रों मे विकास से वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य तथा षिक्षा में अभी भी उनसे भेदभाव बनता जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि के आधुनिक तौर–तरीकों से भी अभी तक अनभिज्ञ हैं।

इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो गरीबी निरन्तर बढ़ती जायेगी चाहे हम कितने ही विकास के कार्य क्यो न कर लें। उनका जीवन स्तर और रहन सहन गिरता ही जा रहा है इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विकास संबंधी कुछ विचार सरकार के मन में आया है। इन विचारों को हकीकत मे बदलने सार्थक प्रयास किये जा रहे है।

लोगो के स्वास्थ्य तथा षिक्षा को स्पष्ट प्रभावित होता जा रहा है। जिससे उनका विकास प्रभावित होते देखा जा रहा है। भारत के गामीण क्षेत्रों मे कृषि को छोड़ जितने भी छोटे रोजगार स्तरीय छोटे व्यवसाय हैं, उनमें 45 प्रतिषत हिस्सा गामीण उद्योग का है इसलिए गरीबी दूर करने के लिए चतुर्मुखी जरूरी है। इनकी उत्पादन क्षमता बढाने के लिए इसमें लगे कारीगर खास कर महिलाओं जो समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा है उनका विकास होना चाहिये कई देषों मे महिलाओं के विकास के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करके उनके स्वरोजगार स्थापित कराये जा रहे हैं। इस दिषा में राज्य सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से एकीक्रत ग्रामीण विकास योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिसके जरीये गरीब व्यक्ति अपने जीवन के लिए आवष्यक संसाधन जुटा सकते है।

राज्य की हजारों ग्रामीण महिलाएं इससे जुड़ गयी हैं वे अब मंच पर आकर आत्मविष्वास से अपनी बात कहती हैं और पंचायत प्रतिनिधि के रूप मे वे भूमिका का निर्वाह कर रही हैं और महिला षिक्षा व स्वास्थय के साथ–साथ आर्थिक कोष का निर्माण का सामूहिक उद्यमिता से उस कोष में वृद्वि भी कर रही है।

सिंह (2010) ने अपने लेख ''संगठित महिलाएं सषक्त समाज'' मे बताया है, कि भारत में ग्रामीण परिवारों को न केवल कृषि के लिए बल्कि परिवारिक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए गैर संस्थागत ऋण सत्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। देष में बैंकों ने अनेक योजनायें तो चलाई जो लेकिन इसका फायदा उंचा तबका ही ले गया। ऐसे में स्वसहायता समूह माध्यम से जो पहल महिलाओं ने की है वो सराहनी है विमल व अन्य ने अपने लेख पंचायती राज एवं महिला सषक्तिकरण में बताया है कि जब भारत की लोकतांत्रित उपलब्धियों को गिना जायेगा तो पंचायती राज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और जब पंचायती राज की सफलता को मापा जायेगा। पंचायती राज के माध्यम से महिला नेतृत्व की सफलाता के बारे मे एक एजेंसी यू.एन.पी.

स्वसहायता समूहों के विकास के लिए उपयुक्त तकनीक तथा इनकी समस्याओं के आंकलन एवं उनके निदान हेतु सुझाव देने का अवसर है।

6. संदर्भ ग्रन्थ सूची

[1] देवपुरा प्रतापमल, आर्थिक स्वावलम्बन से होगी महिलाओं सषक्त कुरूक्षेत्र वर्ष–2006] अंक–7 पेज नं. 15–19
[2] डा. पाठक इन्दु उत्तराखण्ड में महिला सामाख्या कुरूक्षेत्र अंक–7 पेज नं. 26–30
[3] सिंह ददीज कुमार संगठित महिलाएं सषक्त समाज कुरूक्षेत्र वर्ष–2010] अंक–7] पेज नं. 3–7
[4] आर पटैल ''अमिता सषक्तिकरण में स्वसहयता समूह की भूमिका'' 2005 अप्रकाषित षोध प्रबंध, जबलपुर
[5] आर. सुनील ''माइक्रो फाइनेन्स टू द रूपेल पूअर ए केस स्टडी ऑफ द एस.एच.जी. बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन ए वेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन इण्डिया''
[6] डा. कुमार गजेन्द्र स्वसहायता समूहों के माध्यम से धान मिलिंग एक अभिनव कदम कुरूक्षेत्र 2005 पेज नं.41
[7] सिंह करण बहादुर ए महिला अधिकार सषक्तिकरण के लिए जरूरी है षिक्षा समाज कल्याण वर्ष 51, अंक 8 2006 पेज न.9–11

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROGRESSIVE RESEARCH IN ENGINEERING MANAGEMENT AND SCIENCE (IJPREMS)

www.ijprems.com
editor@ijprems.com

Vol. 04, Issue 03, March 2024, pp : 126-129

e-ISSN : 2583-1062

Impact Factor: 5.725

[8] भारती भोपाल स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सषक्त मंच, कुरूक्षेत्र 2006 पेज न. 46–47.

[9] विमल कोडान, आनन्द सिंह पंचायती राज और महिला सषक्तिकरण कुरूक्षेत्र वर्ष–2010, अंक–7 पेज नं. 12–14.